(b) whether the Reserve Bank of India has conducted an independent inquiry into the matter; if so, what are the findings and the recommended action;

(c) whether on reference to the Law Ministry it was confirmed to be a fit case for immediate removal of the person from his present position; and

(d) if so, what follow-up acton has so far been taken or is proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (d) The matter is under examination.

आवास परियोजनाओं के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत

803. **श्री सीजर इर्शादबेग :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास वित्त सम्बन्धी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब से समीक्षा की जा रही है, यह समीक्षा कब सम्पूर्ण हुई या सम्पूर्ण होने की संभावना है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ख) आवास हेतु समाज के कमजोर वर्गों को किस रूप में सहायता दिए जाने की संभावना है और वर्तमान नियमों में क्या सुधार किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 1988 से आरम्भ होने वाली अधिक कारोबार की छमाही के लिए नीति निर्धारित करते समय आवास वित्त नीति में कुछ परिवर्तनों की घोषणा की है जिनकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

एक—वाणिज्यिक बैंकों के आवास ऋण की वापसी अदायगी की 10 वर्ष की वर्तमान अधिकतम अवधि बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है ।

दो—इस समय 5,000/- रुपए तक के आवास ऋण के लिये मार्जिन 20 प्रतिशत और अन्य सभी ऋणों के लिये 50 प्रतिशत है । इन मार्जिनों में क्रमिक आधार पर ढील दी गई है और अधिकतम मार्जिन की सीमा घटाकर 35% कर दी गई है ।

तीन—आवास ऋणों की ब्याज की दरों में 10 अक्तूबर 1988 से निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं :—

ऋण राशि	ब्याज की दर (वार्षिक प्रतिशत)
20,000/-रुपये तक	12.5
20,000/-रुपये से अधिक और 50,000/-रुपये तक ।	13.5
50,000/-रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक ।	14.0
1 लाख रुपये से अधिक	14.5 से 16.0

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये 5,000 रुपये तक के आवास ऋण के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

चार—जहां सम्पत्ति बंधक रखना और सरकारी गारंटी सम्भव नहीं है वहां बैंक दूसरे किस्म की प्रतिभूति स्वीकार कर सकते हैं ।

पांच—बैंक अपने विवेकानुसार ऋण की किस्तों को इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं कि निम्न आय वर्ग आसानी से आवास ऋण ले सके ।

छः—जो व्यक्ति अन्य स्रोतों से धन जुटा सकते हैं, बैंक उन्हें पूरक वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकेंगे ।

सात :—बैंक अतिरिक्त निर्माण करने, मरम्मत कराने और परिवर्तन कराने के लिए भी ऋण दे सकते हैं ।

Financing of Energy projects by World Bank

804. SHR HARI SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any team of the World Bank has visited India in Octo-